रजिस्ट्री सं. डी.एल.–33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

REGISTERED No. D.L.—33002/99

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 72] दिल्ली, बुधवार, मई 1, 2013/वैशाख 11, 1935 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 23
No. 72] DELHI, WEDNESDAY, MAY 1, 2013/VAISAKHA 11, 1935 [N.C.T.D. No. 23

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय

(सचिवालय शाखा)

अधिसूचनाएं

दिल्ली, 1 मई, 2013

फा. सं. 1(2016)/एसबी/डीटीटीई/2012/774–779.—इन्दिरा गांधी दिल्ली महिला तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2012 (2012 का दिल्ली अधिनियम 9) की धारा 1 की उप–धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल 1 मई, 2013 को उपरोक्त अधिनियम की लागू होने की तिथि निश्चित करते हैं।

DEPARTMENT OF TRAINING AND TECHNICAL EDUCATION

(Secretariat Branch)

NOTIFICATIONS

Delhi, the 1st May, 2013

F.No. (2016)/SB/DTTE/2012/774-779.—In exercise of powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Indira Gandhi Delhi Technical University for Women Act, 2012, (Delhi Act 9 of 2012), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby appoints 1st May, 2013 as the date of commencement of the said Act.

फा. सं. 1(2016)/एसबी/डीटीटीई/2012/780–785.—इन्दिरा गांधी दिल्ली महिला तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2012 (2012 का दिल्ली अधिनियम 9) की धारा 3 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल 1 मई, 2013 को इन्दिरा गांधी दिल्ली महिला तकनीकी विश्वविद्यालय के स्थापना की तिथि निश्चित करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराजयपाल
के आदेश से और उनके नाम पर,

ए.के. गुप्ता, उपनिदेशक (एसबी)

F.No. (2016)/SB/DTTE/2012/780-785.—In exercise of powers conferred under sub-section (1) of section 3 of the Indira Gandhi Delhi Technical University for Women Act, 2012 (Delhi Act 9 of 2012), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby appoints 1st May, 2013 as the date of on which the University by the name of Indira Gandhi Delhi Technical University for Women shall be established.

By Order and in the Name of
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

A.K. GUPTA, Dy. Director (Sectt. Branch)

शहरी विकास विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 1 मई 2013

सं. 16(295)/श.वि./जल/2002/303.—दिल्ली जल बोर्ड अधिनियम, 1998 (1998 का दिल्ली अधिनियम संख्या 4) की धारा 7 एवं 51 के साथ पठित धारा 109 की उप–धारा (2) के खण्ड (3) के अन्तर्गत दिल्ली जल बोर्ड द्वारा बनाए गए तथा सक्षम प्राधिकारी के आदेश दिनांक 10.02.2012 के अनुसार दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली में संयुक्त निदेशक (राजस्व) के पद पर नियुक्ति के लिए आवश्यक भर्ती एवं पदोन्नति विनियमों को सामान्य सूचना हेतु प्रकाशित किया जाता है, अर्थात् :—

दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली में संयुक्त निदेशक (राजस्व) पद के लिए नियुक्ति एवं पदोन्नति विनियमः–

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भः** इन विनियमों को दिल्ली जल बोर्ड में संयुक्त निदेशक (राजस्व) पद के भर्ती एवं पदोन्नति विनियम, 2013 कहा जाए ।
2. **अनुप्रयोग**– ये इसके साथ संलग्न अनुसूची के कालम 1 में उल्लिखित पद के लिए लागू होंगे ।
3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान** : पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा इनसे सम्बद्ध वेतनमान उक्त अनुसूची के कालम 2 से 4 में उल्लिखित विवरण के अनुसार होंगे ।
4. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा एवं अन्य योग्यताएँ** : उक्त पदों की भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, योग्यताऐं तथा इससे सम्बधित अन्य मामलें उक्त अनुसूची के कालम 5 से 13 में उल्लिखित विवरण के अनुसार होंगे ।

4\. **अयोग्यताएँ** : कोई व्यक्ति –

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से जिसका पति/पत्नी जीवित हो, से विवाह कर लिया है, अथवा करार किया है, अथवा

(ख) जिसने अपने पत्नी/पति के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह कर लिया है अथवा करार किया है,

उपरोक्त किसी पद पर नियुक्ति के लिए योग्य नहीं होगा –

परन्तु दिल्ली जल बोर्ड यदि इस बात से संतुष्ट है कि ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू वैयक्तिक कानून के अंतर्गत ऐसे विवाह की अनुमति है एवं इस विवाह को करने के लिए अन्य आधार भी हैं, किसी व्यक्ति को इस विनियम से मुक्त कर सकता है ।

6. **नियमित सेवा** : किसी भी ग्रेड में "नियमित सेवा" का अर्थ है उक्त ग्रेड में दीर्घ अवधि नियुक्ति के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार चयन के द्वारा उक्त पद पर कार्यरत रहने की अवधि या अवधियां लेकिन उनके अवकाश पर रहने अथवा अन्यथा ऐसे पद को संभालने के लिए उपलब्ध न होने की अवधि अथवा अवधियां भी सम्मिलित होंगी ।

7. **शिथिलता प्रदान करने की शक्ति** : जहां राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक है, यह आदेश देकर, लिखित में कारणों को रिकार्ड करते हुए, तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श पर किसी भी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्ति को इन विनियमों के उपबन्धों में शिथिलता दी जा सकती है ।

8. **बचाव:** इन विनियमों से अनुसूचित जाति/जन जाति एवं अन्य विशेष वर्ग के व्यक्तियों के लिए इस बारे में समय समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार दिये जाने वाले आरक्षण एवं अन्य रियायतें प्रभावित नहीं होंगी ।

9. **निरसन** : दिल्ली प्रशासन की दिनांक 06.01.2003 की अधिसूचना संख्या 16.(295)/श0वि0/जल/2002/145, इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से अतिक्रमित हो जायेगी ।

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 1st May, 2013

No. F. 13(295)/UD/W/2002/303.—The following Recruitment and promotion Regulations made by the Delhi Water Board under clause (m) sub-section (2) of section 109 read with sections 7 and 51 of the Delhi Water Board Act, 1998 (Delhi Act No. 4 of 1998) vide Competent Authority orders dated 10.02.2012 necessary for appointment to the post of Joint Director of Revenue in the Delhi Water Board, Delhi are hereby published below for general information, namely :—

RECRUITMENT AND PROMOTION REGULATIONS FOR THE POST OF JOINT DIRECTOR OF REVEUE IN DELHI JAL BOARD, DELHI

1. Short title and commencement - These regulations may be called the Joint Director of Revenue in Delhi Jal Board Recruitment and promotion Regulations, 2013.

2. Application -They shall apply to the post specified in column No. 1 of the schedule hereto annexed.

3. Number of posts, classification and scale of pay- The number of posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age limit and other qualifications
The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

5. Disqualifications - No person,-

(a) Who has entered or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) Who having a spouse living, has entered into or contracted marriage with person;

shall be eligible for appointment to the said post;

Provided that Delhi Water Board, may, if satisfied that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this regulation.

6. Regular service - "Regular service" in relation to any grade means the period or periods of service in the grade, rendered after selection in accordance with the prescribed procedure of selection on long terms appointment to that grade and shall include any period or periods during which an officer would have held a duty post in that grade but for his being on leave or otherwise not being available for holding such post.

7. Power to Relax - Where the Government of National Capital Territory of Delhi is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by an order, for reasons to be recorded in writing, and consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category of persons.

8. Saving - Nothing in these Regulations shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

9. Repeal- Delhi Administration Notification F. 16(295)/UD/W/2002/145 dated 06.01.2003 shall stand superseded from the date of issue of this notification.

'अनुसूची'

संयुक्त निदेशक (राजस्व) पद हेतु भर्ती नियम

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	पे बैन्ड तथा ग्रेड पे / वेतनमान	चयन अथवा गैर चयन	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएें	क्या : सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षिक योग्यताऐं पदोन्नति के मामले लागू होंगी	परवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की विधि, क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्त /संविलयन द्वारा विभिन्न विधियों से पदों को भरे जाने का प्रतिशत ।	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/संविलयन द्वारा भर्ती के मामलों में वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/संविलयन किया जाना है ।	क्या विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना क्या है ?	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना आवश्यक है
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
संयुक्त निदेशक (राजस्व)	4 (2012) कार्यभार के आधार पर निर्भर है ।	वर्ग "क"	वेतन समूह–3 रूपये 15,600–39,100 ग्रेड पे रूपये 7600/–	चयन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	पदोन्नति द्वारा ऐसा न होने पर प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि अनुबंध सहित) द्वारा	वेतन समूह –3, रूपये 15600–39100, ग्रेड पे रूपये 6600/– में उप निदेशक (राजस्व) /सहायक आयुक्त, जिसने इस ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा तथा दिल्ली जल बोर्ड संस्थान से प्रशासनिक/लेखा मामलों में 10 दिनों का प्रशिक्षण प्राप्त किया हो । **टिप्पणी 1:–** जहां कनिष्ठ कर्मियों, जो अपनी दक्षता/पात्रता सेवा अवधि पूर्ण कर चुके हों, को पदोन्नति देने हेतु विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे वरिष्ठ कर्मियों को भी अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति देने हेतु उनसे कनिष्ठ कर्मियों के साथ, जो भी पहले हो, ऐसी दक्षता/पात्रता सेवा पूरी कर चुके हों, विचार किया जाएगा, बशर्ते उनकी दक्षता/पात्रता सेवा अवधि वांछित दक्षता/पात्रता सेवा अवधि की आधी से अधिक अथवा दो वर्ष से कम, इनमें से जो भी कम हो, तथा अपने से कनिष्ठ अधिकारियों के साथ आसन्न उच्च ग्रेड में पदोन्नति के लिये अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर चुके है, जो पहले ही ऐसी अर्हक /पात्रता सेवा पूरी कर चुके हैं । **टिप्पणी 2:–** प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए 01.01.2006 से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा, जिस तारीख से छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर संशोधित वेतन की संरचना विस्तारित की गई है, आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्संबंधी वेतनमान/ग्रेड वेतन में की गई सेवा समझी जाएगी । **प्रतिनियुक्ति (अल्प अवधि अनुबंध सहित)** केन्द्रीय /राज्य सरकार /मान्यता प्राप्त शोध संस्थान /विश्वविधालय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/अर्द्धसरकारी/ संघ शासन / स्वायत्तशासी निकायों/संवैधानिक संगठनों के अधीन अधिकारी । (क) (I) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारी, अथवा (II) मूल संवर्ग/विभाग में वेतन समूह–3 रू0 15,600–39,100 में ग्रेड पे रू0 6600 के वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उक्त ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर चुके अधिकारी अथवा समकक्ष, तथा (ख) निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यता/अनुभवकारी, (I) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविधालय से डिग्री, (II) प्रशासन/संस्थापना एवं लेखा मामलों में पांच वर्षों का अनुभव । **टिप्पणी 1–** पोषक श्रेणी में विभागीय अधिकारी, जो सीधी पदोन्नति की श्रेणी में हैं, वें प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचार करने के लिए पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त अधिकारी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे । **टिप्पणी 2–** प्रतिनियुक्ति की अवधि, इस नियुक्ति से तुरन्त पहले इस संगठन अथवा केन्द्र सरकार के अन्य संगठन/विभाग में अन्य संवर्ग बाह्य पद पर बने रहने की अवधि सहित, सामान्यतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु–सीमा आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पणी 3–** प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए 01.01.2006 से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा, जिस तारीख से छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर संशोधित वेतन की संरचना विस्तारित की गई है, आयोग की सिफारिशों के आधार पर लागू तत्संबंधी वेतनमान/ग्रेड वेतन में की गई सेवा समझी जाएगी सिवाय इसके कि पूर्व संशोधित एक से अधिक वेतनमान को सामान्य ग्रेड वेतन/वेतनमान के एक ग्रेड में समाहित कर दिया गया है तथा बिना किसी उच्च ग्रेड के इसका लाभ पद (पदों) के लिए विस्तारित किया जा सकता है और यह ग्रेड/वेतनमान किसी प्रकार के उन्नयन के बिना सामान्य ग्रेड की जगह पर होंगे ।	वर्ग 'क' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति हेतु) :– 1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग : अध्यक्ष 2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/सदस्य (प्रशासनिक) : सदस्य 3. सदस्य(वित्तीय), दिल्ली जल बोर्ड : सदस्य	प्रतिनियुक्ति (आइ0एस0टी0सी0) पर किसी अधिकारी की नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है ।

राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से और उनके नाम पर,

एस.एस. राठौर, विशेष सचिव (जल)

1775 D-5/13-2

SCHEDULE

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF JOINT DIRECTOR OF REVENUE.

Name of post.	No. of post.	Classification	Pay Band & Grade Pay/Pay Scale	Whether Selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualification required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion/deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by Promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/ absorption to be made.	If a DPC exists, what is its Composition.	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Joint Director of Revenue	4. (2012) Subject to variation dependent on workload	Category 'A'	PB-3 Rs. 15,600-39,100 (Grade pay Rs. 7600/-).	Selection	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable.	Not applicable	By Promotion failing which by deputation including short term contract.	**Promotion:-** ~~Deputy Director~~ of Revenue/Assistant Commissioner in PB-3, Rs.15600-39100 with Grade Pay of Rs. 6600/- with 5 year regular service in the grade and having undergone 10 days training in Administrative/ Revenue matters from the Delhi Jal Board Institute. **Note 1:-** Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying /eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along-with their junior who have already completed such qualifying/ aligibility service. **Note 2:-** For the purpose of computing minimum qualifying service for Promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 01.01.2006/ the date from which the revised pay structure based on the sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the pay commission. **Deputation(Including short term contract)** Officers of the Central/State Govts./ Recognized Research institutions /Universities/PSUs/ Semi Govt./ U.Ts/ Statutory or Autonomous Organizations:- (A)(i) Holding analogous post on regular basis in tha parent cadre/department ; OR (ii) With five years' service in the grede rendered sftar appointment thereto on a regular basis in post in Pay Band -3, Rs.15,600-39,100 with Grade pay of Rs. 6600/- or equivalent in the parent cadre/department. AND (B) Possessing the following educational qualifications and experience:- (i) Degree from a recognized university; (ii) Five years experience in Administration / Establishment & Accounts matters. **NOTE 1:-** The departmental officers in the feeder Category who are in the direct line of Promotion will not be eligible for consideration for appointment on Deputation. Similarly, Deputationists shall not be eligible for consideration for eppointment by Promotion. **NOTE 2:-** Period of Deputation (ISTC) including period of Deputation (ISTC) In another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/ department of the Central Government shall ordinarily not to exceed five years. The maximum age limit for appointment by Deputation (ISTC) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.	**Group 'A' DPC (for Promotion)** 1. Chairman/ Member, UPSC - Chairman 2.CEO/Member (Admn.), Delhi Jal Board - Member 3.Member [illegible] (Fin.), Delhi Jal Board - Member	Consultation with UPSC necessary while appointing an officer on Deputation (ISTC).

Name of post	No. of post.	Classification	Pay Band & Grade Pay/Pay Scale	Whether Selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualification required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion/deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by Promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/ absorption to be made.	If a DPC exists, what is its Composition.	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
										NOTE 3:- For the purpose of appointment on Deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 01.01.2006/the date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding Grade Pay/Pay Scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common Grade Pay/Pay Scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that Grade Pay/ Pay Scale is the normal replacement grade without any Up-gradation.		

By Order and in the name of the Lt. Governor of National Capital Union Territory of Delhi,

S.S. RATHOR, Spl. Secy. (Water)

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.